

193

31/6

24/MAY/03

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार - कृषि
(कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य)
2. वार्ड परगना डासना
3. मौहल्ला/ग्राम - ग्राम नायफल
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) खाता नं० 34 के खसरा नं० 347, 345.
5. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्ग मीटर) हेक्टेयर

१२५५५२२२

For DIGITALIZATION OF...

Author...

3140

2nd / MAY / 03

1. भूमि का प्रकार - कृषि
(कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य)
2. वार्ड परगना डासना
3. मौहल्ला/ग्राम - ग्राम नायफल
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) खाता नं० 34 के खसरा नं० 347,
345,
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर) हैक्टेयर

अथर्वसंहिता

For UPP24 4382.6; P: 100.00; 4382.6 PPI 1.0

AmLing: . . .

विक्रय पत्र

7,792,912.00 / 7,792,912.00

0,000.00

100

10,100.00

5,000

परिफल

मालियत

कोश गिरफ्त

नकल व प्रति शुल्क

योग

अवधि लगभग

श्री श्री 00 उप्पल बरुदा द्वारा विशेष विष्ट
पुत्र श्री डी एस विष्ट

ध्वजशासक ध्यानार/अन्य/स्त्री

निवासी 33 कम्यूनिटी सेंटर दिल्ली

अस्थायी पता

मे इस संवत् 19 इय करालय में दिनांक 10/4/2013 समय 4:23PM

उसे नियन्त्रण हेतु देखा किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक, प्रथम

गाजियाबाद

10/4/2013

निष्पादन लेखपत्र बाद खतने व समझने मजबूत व प्राप्त धनराशि रु धनिलानसार उक्त
विक्रेता।

क्रेता

श्री ब्रह्मप्रकाश
पुत्र श्री सूरत सिंह
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी दुर्गाई गो बु0 नगर

श्री श्री 00 उप्पल बरुदा द्वारा विशेष विष्ट
पुत्र श्री डी एस विष्ट
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी 33 कम्यूनिटी सेंटर दिल्ली

मे निष्पादन स्वीकृत किया।

जिन्होंने मन्वान श्री वीरपाल

पुत्र श्री जीतराम

पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री

निवासी दुर्गाई गो बु0 नगर

व श्री रवि

पुत्र श्री नरथु सिंह

पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री

निवासी नाथकल गाबाद

ने की।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक, प्रथम

गाजियाबाद

10/4/2013

प्रत्यक्षतः यह पक्षों के निजान अंगुष्ठ निचवानुसार भिजे गये हैं।

(2)

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.543166 हैक्टेयर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) 200 मीटर से अधिक
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड / कार्नर इत्यादि) N.A
9. सम्पत्ति का प्रकार भूमि कृषि
10. प्रतिफल की धनराशि 77,92,912 /—रुपये
11. पेड कुँआ नलकूप व बोरिंग व आबादी नहीं है

९२५०५५१२१

महाराष्ट्र सरकार

१२/१२/२०२१

विक्रेता

Registration No.: 3116

Year: 2013

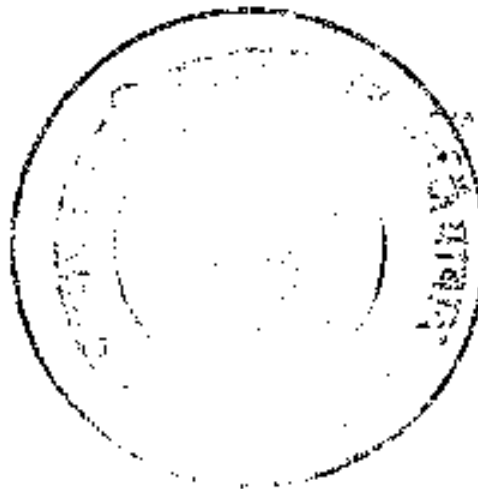
Book No.: 1

0101 बहमप्रकाश संस्कृत

सुरा सिद्ध

दुर्याई गौ. दु. नगर

यापार/अन्ध/स्त्री



(3)

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण:-

1. नाम : ब्रह्म प्रकाश

पिता का नाम : श्री सूरत सिंह

स्थायी पता : ग्राम दुससाई परगना व तहसील ददरी जिला गौतमबुद्धनगर

पहचान पत्र नं० : UP/779/387/0540113

ब्रह्म प्रकाश

For OFFICIAL USE ONLY

1

क्रेता

Registration No. : 3116

Year: 2013

Book No. : 1

0201 40 हप्पल चढदा द्वारा त्रिदश विष्ट
डी एस विष्ट
33 कम्प्यूटिङ सेंटर दिल्ली
व्यापार/अन्य/सत्री



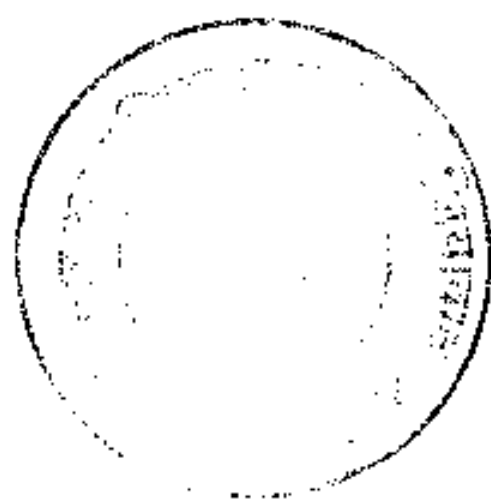
(4)

क्रेता का विवरण:-

1. नाम : मैसर्स सप्पल चढढा हाई टेक डेवलपर्स प्रा० लि० द्वारा श्री
ब्रिजेश बिष्ट
पिता का नाम : श्री डी० एस० बिष्ट
स्थायी पता : 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रैन्ड्स कालौनी नई दिल्ली
पहचान पत्र नं०: BQF1572676

अक्षय कुमार

For BQF1572676, BQF1572676 : 11
11



विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 77,92,912.00 रुपये।

स्टाम्प पेपर - प्रश्नगत भूमि के क्रय हेतु किये जा रहे निबन्धन में कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या क०नि०-5-893/ ग्यारह- 2010 500-(83)-2005 दिनांक 06 मई 2010 की व्यवस्था के अनुसार संबंधित विकासकर्ता कंपनी/कन्सर्शियम क्रेता स्टैम्प ड्यूटी से छूट के लिये पात्र है।

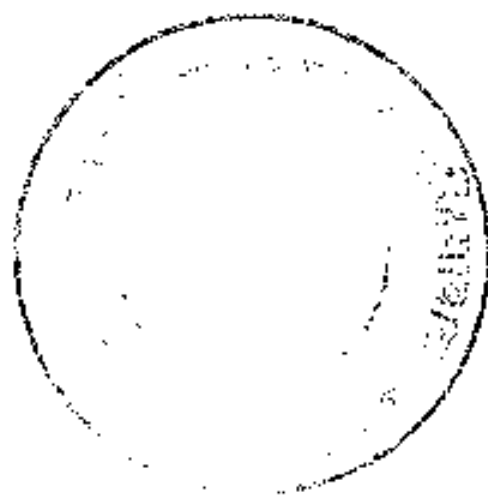
मैं कि ब्रह्मप्रकाश पुत्र श्री सूरत सिंह निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्धनगर (फरीक अव्वल/विक्रेता)।

एवम

गैसर्स उप्पल चढ़दा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली द्वारा ब्रजेश बिष्ट पुत्र श्री डी. एस. बिष्ट, 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दायम/क्रेता)।

ब्रजेश बिष्ट

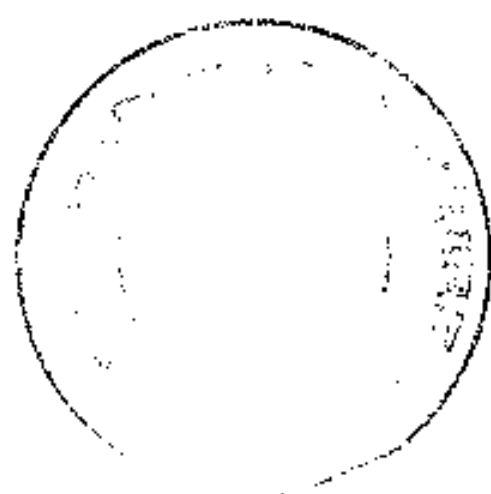
सहचर



विक्रीत भूमि का विवरण

- (1) ग्राम नायफल परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद (उ०प्र०), में स्थित कृषि भूमि खता नं० 34 के खसरा नं० 347 रकबा 3.2330 हैक्टे० व खसरा नंबर 345 रकबा 0.0260 हैक्टे० कुल रकबा 3.2590 हैक्टे० का 1/6 भाग रकबा 0.543166 हैक्टे० के प्रथम पक्ष विक्रेता अनुसार खतौनी 1416-1421 फसली पूर्णतया खागी व विक्रय अधिकारी, बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, का बैनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।
- (2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 1,23,51,780/- रुपये प्रति हैक्टेयर है लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से रु० 1,43,47,200/- प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 77,92,912/- रुपये सत्ताहेतर लाख बानबे हजार नौ सौ बारह रुपये मात्र) में तय है।
- (3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। विक्रीत भूमि ग्राग समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।
- (4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी, पहचान पत्र विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।
- (5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक हम फरीक अब्बल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि में गस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-गस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वयन ही लम्बित है।

उ २००५ ००१२



(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटि नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/सुल्लिखित भूमि के संबंध में गुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है और न ही कही नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके पारिसान होंगे।

(7) गुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त ख़ाता नं० 34 के खसरा नं० 347 रकबा 3.2330 हैक्टे० व खसरा नंबर 345 रकबा 0.0260 हैक्टे० कुल रकबा 3.2590 हैक्टे० का 1/6 भाग रकबा 0.543166 हैक्टे० स्थित ग्राम नायफल परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद उसके हिस्से के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। हम विक्रेता को वास्ते तश्की काशत एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः गुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार गालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, काशत भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार हम विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन- 77,92,912/- रुपये सत्तहेतर लाख बानवें हजार नौ सौ बारह रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन 38,96,456/- रुपये (अड़तीस लाख छियानवें हजार चार सौ छप्पन रुपये मात्र) होते हैं के एवज में बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैरर्स उप्पल चढ़ा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली द्वारा ब्रजेश बिष्ट पुत्र श्री डी. एस. बिष्ट, 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/क्रेता)। अधिकृत हस्ताक्षरी द्वितीय पक्ष को बैय कर दिया है यानि कतई बैय दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी हम विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर ली है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नहीं रही है।

9-2-2012





(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहसियत मालकाना प्रयोग में लावे।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर हम फरीक अव्वल से करा सकते हैं, हम फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात् विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेतागण व विक्रेता के वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अव्वल विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

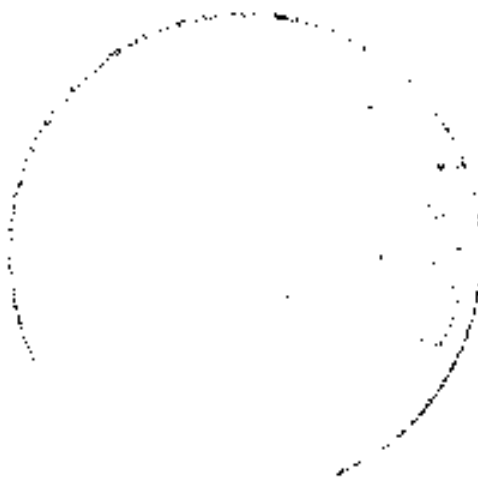
(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझकर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।



For OFFICE USE ONLY







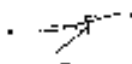
आज दिनांक 10/04/2013 को

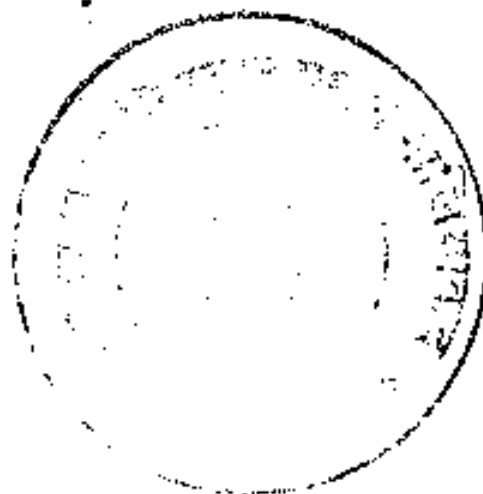
वही सं. 1 जिल्द सं. 10924

पृष्ठ सं. 229 से 240 पर क्रमांक 3116

रजिस्ट्रीकृत किया गया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


उप निबन्धक, प्रथम
गाजियाबाद
10/4/2013





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक स्थान में
 श्री पुत्र/पति
 निवासी ग्राम परगना तहसील
 व जिला द्वारा

प्रथम पक्ष

एवं

गै0 पंजीकृत
 कार्यालय 33 कम्युनिटी सेंटर, न्यू फ्रेडस कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा
 पुत्र:

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम परगना व तहसील
 जिला में स्थित भूमि खाता सं0 खसरा सं0
 158, 160 कुल रकबा 2246333 हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का
 संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम
 दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिरसेदार नहीं
 है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या
 कोई केस नहीं चल रहा है।

25 MAR 2013

.....
.....
.....
.....
.....
.....

UPPAL CHADHA HI-TECH DEVELOPERS PVT. LTD
NEW DELHI

राजेश कुमार स्टाम्प विक्रेता

लॉर्डसेंस नम्बर 350

लॉर्डसेंस की अवधि 31 मार्च

संभारत कम्प्यूटर्स, गाजियाबाद

Rajesh

[Faint, illegible text]

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बही सं० के पुस्तक सं० पृष्ठ पर क्रम सं० पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से रु० /- द्वारा चैक नं. दिनांक बैंक द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लॉट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. प्रति वर्गमीटर के हिसाब से निर्धारित धनराशि दोनों पक्षों को मान्य है।

2. यह कि प्रथम पक्ष भौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।

5/2/2012

3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नहीं रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये हैं।
4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के मूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष के होंगे। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु..... द्वारा चैक सं०..... दिनांक..... बैंक..... से प्राप्त कर लिये हैं।
5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरूप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।

२३/६/२०२०/१२/

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.

दिनांक 26/04/03

किरीट जी लालादेव है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लालादेव

श्री सुरत श्री नाथफल श्री दासना लालादेव

श्री लालादेव का घर का नाम

है दासना है दासना है दासना है दासना है दासना है

दासना दासना है

Khetana 34

Khetana No. 344, 345

दासना

सेवा में

शाखा प्रबन्धक

उच्च प्रबन्धन शाखा प्रबन्धक

आवकाद

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी/प्रार्थी गण ने अपनी भूमि जिसका
छाता संख्या 34, खसरा नम्बर 34, स्कवा 5431-66 स्थित ग्राम, 1/28/22
परगना, डी.एन. 34, तहसील, आ. 34, जिला, 34/34/34
मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि में उपलब्ध चट्टान हाईटेक डेवेलपर्स प्रा० लि०
को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की
आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०)
प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

कृष्ण प्रकाश S/O सुरत

No. 1111

24/5/11

आवकाद

आवकाद